

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 153/2013
संस्थित दिनांक- 04.04.2013

सुरेश पिता बाबूलाल पाटीदार,
आयु-48 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,
निवासी-अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.परिवादी

वि रू द्ध

अनिल पिता हरिजी पाटीदार,
आयु-41 वर्ष, व्यवसाय-कृषि एवं व्यापार,
निवासी अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.अभियुक्त

परिवादी द्वारा विद्वान अधिवक्ता - श्री विशाल कर्मा
अभियुक्त द्वारा विद्वान अधिवक्ता - श्री संजय गुप्ता

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 23-7-2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध दायित्व के अधीन प्रदान किए गए दिनांक 27.12.2012 को उसके बैंक खाता क्रमांक 63023882387 के चैक क्रमांक 060384 धनराशि रुपये 5,00,000/- (अक्षरी रुपये पांच लाख मात्र) का आरोपी का खाता बंद हो जाने से अनादरित होने के आधार पर दिए गए सूचना पत्र के अनुसार उक्त चैक की राशि का भुगतान नहीं करने के कारण परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अपराध विचारणीय है।

2- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि परिवादी और आरोपी एक-दूसरे को जानते हैं तथा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि आरोपी ने दीवालिया घोषित कराने के लिए प्रांतीय दीवाला अधिनियम 1920 की धारा 7 के अंतर्गत माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, बड़वानी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है।

3- परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी का कृषि का व्यवसाय है और आरोपी कृषि और व्यापार करता है। आरोपी को अपने व्यवसाय के लिए रुपयों की आवश्यकता होने से परिवादी से नकद 5,00,000/- (अक्षरी रुपये पांच लाख मात्र) रुपये उधार स्वरूप अंजड़ में प्राप्त किए थे, तब रुपये एक-डेढ़ माह में वापस करने का आश्वासन दिया था। परिवादी द्वारा बार-बार मांग किए जाने पर भी परिवादी को अभियुक्त द्वारा उक्त धनराशि वापस नहीं की गई, तो परिवादी को आरोपी ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा अंजड़ के उसके खाता क्रमांक

63013882387 का चैक क्रमांक 060384 दिनांक 27.12.2012 का धनराशि रुपये 5,00,000/— (अक्षरी रुपये पांच लाख मात्र) का अपने हस्ताक्षर से परिवादी के पक्ष में लिए गए ऋण की रकम का भुगतान करने हेतु जारी किया गया, जो चैक परिवादी ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा अंजड़ में अपने खाता क्रमांक 20150193602 में प्रस्तुत किया, जो दिनांक 09.01.2013 को परिवादी की बैंक द्वारा बिना भुगतान के इस टीप के साथ वापस प्राप्त हुआ कि आरोपी का खाता बंद हो चुका है, तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पंजीकृत डाक से दिनांक 11.01.2013 को सूचना पत्र प्रेषित कर चैक की धनराशि की मांग की। आरोपी ने सूचना पत्र की जानकारी होने के बाद भी उसने जानबूझकर उक्त पंजीकृत डाक का लिफाफा प्राप्त नहीं किया और पोस्ट ऑफिस द्वारा परिवादी को वापस लौटाया गया। इसलिए परिवादी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

4— उक्त अनुसार आरोपी पर परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अभियोग अधिरोपित कर अपराध विवरण तैयार कर आरोपी को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उसने अपराध अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव में साक्ष्य देना प्रकट कर किसी भी साक्षी के कथन बचाव में नहीं कराए गए हैं।

5— विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :—

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या आरोपी द्वारा दायित्व के अधीन परिवादी के पक्ष में दिनांक 27.12.2012 को शाखा अंजड़ के अपने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के खाता क्रमांक 63013882387 का चैक क्रमांक 060384 रुपये 5,00,000/— (अक्षरी रुपये पांच लाख मात्र) का अपने हस्ताक्षर से जारी किया गया ?
ब	क्या आरोपी द्वारा दिया गया उक्त चैक, आरोपी का खाता बंद होने के कारण अनादरित हुआ ?
स	क्या आरोपी ने उक्त चैक की धनराशि का भुगतान परिवादी द्वारा बार—बार मांग किए जाने पर और सूचना पत्र दिए जाने के बाद भी नहीं किया ?
द	यदि हां, तो निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

— विचारणीय प्रश्न क्रमांक 'अ' लगायत 'द' पर सकारण निष्कर्ष —

6— चूंकि सभी विचारणीय प्रश्न एक—दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने और सुविधा की दृष्टि से उनका निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

7— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में परिवादी सुरेश (परि.सा.—1) ने परिवाद के तथ्यों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि आरोपी व परिवादी एक ही जाति समाज व अंजड़ के निवासी होने से आरोपी को उसके व्यवसाय के लिए रूपयों की आवश्यकता होने से आरोपी ने उससे 5,00,000/— (अक्षरी रूपये पांच लाख मात्र) रूपये नकद धनराशि उधार स्वरूप अंजड़ में प्राप्त की थी तथा उक्त धनराशि डेढ़ माह में अदा करने का आश्वासन भी दिया था, किन्तु उक्त समयावधि में उससे उधार ली गई धनराशि आरोपी ने वापस नहीं की और परिवादी द्वारा बार—बार मांगनी करने पर आरोपी ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा अंजड़ के खाता क्रमांक 63013882387 का एक चैक क्रमांक 060384 दिनांक 27.12.2012 राशि रूपये 5,00,000/— (अक्षरी रूपये पांच लाख मात्र) का अपने हस्ताक्षर से परिवादी को उसके पक्ष में जारी किया, जो चैक उसने अपने खाता वाले बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा अंजड़ में अपने खाता क्रमांक 20150193602 में प्रस्तुत किया था, किन्तु आरोपी द्वारा दिया गया उक्त चैक दिनांक 09.01.2013 को बैंक द्वारा बिना भुगतान के परिवादी को इस टीप के साथ वापस किया गया कि आरोपी का खाता बंद हो चुका है, तब उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 11.01.2013 को पंजीकृत डाक से आरोपी को सूचना प्रेषित कर चैक की धनराशि रूपये 5 लाख की मांग की। उक्त सूचना पत्र आरोपी के निवास व दुकान के पते पर भेजा गया था, लेकिन आरोपी को सूचना पत्र की जानकारी होने के बाद भी उसने सूचना पत्र को स्वयं पर तामील नहीं होने दिया और परिवादी को पंजीकृत डाक का लिफाफा दिनांक 19.01.2013 को वापस प्राप्त हुआ। इस प्रकार आरोपी ने सूचना पत्र की जानकारी होने के बाद भी तथा बार—बार रूपयों की मांग करने के बाद भी चैक की धनराशि परिवादी को अदा नहीं की, इसलिए परिवादी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

8— परिवादी ने अपने समर्थन में प्रपी—1 का प्रश्नाधीन चैक, जिसके ए से ए भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं, को प्रमाणित किया है तथा भारतीय स्टेट बैंक शाखा अंजड़ द्वारा दिया गया चैक वापसी मेमो प्रपी—2, चैक जमा पर्ची प्रपी—3, आरोपी को दिया गया सूचना पत्र प्रपी—4, सूचना पत्र की पोस्टल रसीद प्रपी—5 तथा सूचना पत्र का वापसी लिफाफा प्रपी—6 को भी प्रमाणित कराया है।

9— बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में परिवादी ने यह स्वीकार किया है कि वह कक्षा 11वीं तक पढ़ा है और कृषि कार्य से बैंक में जाता है तथा बैंक ऑफ इण्डिया के अपने खाते में से पैसे विथड्रावल पर्ची से निकालता है। साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसका तथा उसके पिता का बैंक में संयुक्त खाता है और पैसे का सारा हिसाब—किताब उसके पास रहता है तथा वह किसी भी मांगने वाले को पैसे नहीं देता है, किन्तु परिचित के मांगने पर उधार देता है। उसके पास कृषि भूमि नहीं है, उसके पिता के नाम से है, जिसकी देखरेख वह करता है। साक्षी से किए गए प्रतिपरीक्षण में उसने यह भी स्वीकार किया है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र के पेज नंबर—3 और 1 में दिनांक के स्थान पर कांटछांट की है तथा परिवाद पत्र में पेज नंबर—1 पर दिनांक भी अंकित नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि सूचना पत्र उसके अधिवक्ता ने भेजा था, जिसमें उसकी सहमति थी, लेकिन इस बात से इन्कार किया है कि

प्रपी-1 का चैक उसकी लिखावट में है। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि पूरा चैक आरोपी ने ही भरा था। प्रतिपरीक्षण में अंत में इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह असत्य कथन कर रहा है और उसने असत्य आधारों पर परिवाद प्रस्तुत किया है।

10— इस प्रकार आरोपी की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान भी परिवादी के उक्त कथनों का कोई खण्डन नहीं हुआ है कि परिवादी से आरोपी ने नकद 5,00,000/— (अक्षरी रूपये पांच लाख मात्र) रूपये उधार स्वरूप प्राप्त कर आरोपी ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा अंजड़ के उसके खाता क्रमांक 63013882387 का चैक क्रमांक 060384 दिनांक 27.12.2012 का धनराशि रूपये 5,00,000/— (अक्षरी रूपये पांच लाख मात्र) का अपने हस्ताक्षर से परिवादी के पक्ष में लिए गए ऋण की रकम का भुगतान करने हेतु जारी किया गया। परिवादी की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें प्रपी-1 का वह चैक है, जो परिवादी के पक्ष में आरोपी द्वारा अपने हस्ताक्षर से जारी किया गया है, जिसके ए से ए भाग पर आरोपी ने अपने हस्ताक्षर होने से इन्कार भी नहीं किया है तथा प्रपी-2 परिवादी की बैंक का अनादरण मेमो है, जिसमें चैक अनादरण का कारण खाता बंद होना बताया गया है। इसी प्रकार प्रपी-3 बैंक में जमा की गई पर्ची है तथा परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित सूचना पत्र प्रपी-4 है, जिसकी पोस्टल रसीद प्रपी-5 एवं आरोपी द्वारा उक्त सूचना पत्र जानकारी होने के बाद भी लेने से इन्कार करने पर वापस परिवादी को प्राप्त हुआ लिफाफा, प्रपी-6 है, जिस पर संबंधित पोस्टमैन द्वारा यह टीप लगाई गई है कि आरोपी घर पर नहीं मिला और लेने से इन्कार किया।

11— परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के खण्डन में आरोपी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिससे कि परिवादी की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का खण्डन होता हो। ऐसी स्थिति में परिवादी की साक्ष्य एवं उसके द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शित दस्तावेजों के आधार पर यह उपधारणा परिवादी के पक्ष में की जा सकती है कि आरोपी द्वारा प्रपी-1 का चैक विधिक दायित्व के निर्वहन हेतु जारी किया गया था और उक्त उक्त चैक आरोपी का खाता बंद हो जाने के कारण अनादरित हुआ है, जो कि परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अपराध है, जो परिवादी प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

12— अतः यह न्यायालय आरोपी अनिल पिता हरिजी पाटीदार, निवासी अंजड़, जिला बड़वानी को परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

13— प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति और समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी परीविक्षा विधान के प्रावधानों का लाभ प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

14— सजा के प्रश्न पर विचार किए जाने पर आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आरोपी ने स्वयं को दीवालिया घोषित करवाने के लिए आवेदन जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया है। आरोपी के पास वर्तमान में इतने साधन नहीं हैं कि वह उक्त चैक की धनराशि परिवादी को अदा कर सके। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावे। उनका यह भी निवेदन है कि आरोपी को व्यापार में घाटा होने के कारण उक्त अपराध घटित हुआ है तथा आरोपी लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है।

15— प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति और समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए तथा आरोपी द्वारा मात्र स्वयं को दीवालिया घोषित किए जाने का आवेदन सक्षम न्यायालय में पेश किए जाने के आधार पर आरोपी सहानुभूति का अधिकारी प्रतीत नहीं होता है।

16— अतः यह न्यायालय आरोपी अनिल पिता हरिजी पाटीदार, निवासी अंजड़, जिला बड़वानी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए छः माह के सश्रम कारावास से दण्डित करता है तथा प्रकरण की परिस्थितियों में दंप्रसं. की धारा 357 (3) एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 117 (1) के अंतर्गत यह भी आदेशित किया जाता है कि आरोपी परिवादी को प्रतिकर स्वरूप रुपये 6,00,000/— (अक्षरी रुपये छः लाख मात्र) अदा करेगा। प्रतिकर की उक्त राशि अदा न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

17— आरोपी के जमानत—मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18— द.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

19— प्रकरण में कोई भी जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही /—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

सही /—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.